आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

धारा–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत
दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–91 / 2018–19

परीक्षित कुम्हार...आवेदक

बनाम

झारखण्ड सरकार अंचल अधिकारी सोनाहातु वगैरह..विपक्षी।

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–परीक्षित कुम्हार, पिता–स्व० पुईतु कुम्हार, सा०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–136 R27 / 2017-2018 / सोनाहातु में दिनांक–15.02.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
सोनाहातु	सोनाहातु	58	314	164	32 डीसमील

चौहदीः–उ०–फेकला कुम्हार, द०–रोबीन महतो,
पू०–सीमाना मौजा सारेयाद, प०–अर्जुन कुम्हार।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार अपीलार्थी ने उपरोक्त भूमि विपक्षी सं०–2 त्रिलोचन प्रजापति, पिता–स्व० लछु प्रजापति ग्राम+पोस्ट–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु जिला राँची से दिनांक–27.01.2010 निबंधित केवाल पट्टा सं०–707 द्वारा क्रय किया है। उपरोक्त भूमि को विक्रेता के पिता–लछु कुम्हार, पिता दुर्गा कुम्हार ने दिनांक–17.02.1966 को खतियानी रैयत के पुत्र लखीनारायण कुम्हार पिता बैजनाथ कुम्हार से निबंधित पट्टा सं०–1443 द्वारा क्रय किया है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का पक्ष जाने बिना ही नामांतरण वाद अस्वीकृत कर दिया गया। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–136 R27 / 2017-2018 / सोनाहात का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि की जमाबंदी पंजी2 में विक्रेता / विक्रेता के पिता के नाम से दर्ज नहीं है। अतएव इसी आधार पर अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के सुने बिना ही एवं नामांतरण आवेदन पर ठीक से जाँच–पड़ताल किए बिना ही नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, सोनाहातु द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर जाँच–पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

ह०/- [illegible] 10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

ह०/- [illegible] 10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।